राजस्थान सरकार IFMS ID : 5416

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

क्रमांक: - F.22(1)M&H/2/2023 जयपुर, दिनांक - 07/01/2025

(स्वीकृति संख्या : 62 / 2024-25)

विषय :- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढामालानी, जिला बाडमेर के भवन निर्माण कार्य हेतु राशि " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " के पी.डी. खाते में हस्तांनातरण किये जाने की स्वीकृति।

प्रसंग :- आईडी संख्या 152402613 दिनांक 20.12.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढामालानी, जिला बाडमेर के भवन निर्माण कार्य हेतु बजट मद 4210-01-110-07-01-17 MW अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध बजट प्रावधान में से राशि रू. 50.00 लाख (अक्षरे राशि रू. पचास लाख मात्र) " राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी " (RSHS)के पी.डी. खाते में हस्तांतरण की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ, योजना की गाईडलाईन अनुसार तथा तत्संबंधी नियमों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना एवं आगामी मांग से पूर्व जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करते हुये किया जावे:-

राशि (रुपये में)

मांग संख्या	बजट मद जिससे राशि प्रभारित की जावेगी (डेबिट)	राशि	बजट मद/निजी निक्षेप खाता जिसमें राशि जमा की जावेगी (क्रेडिट)	राशि
27	4210-01-110-(07)-[01]-17-State Fund	5,00,00,00	पी डी खाता संख्या : 4008 - Rajasthan State Health Society	5,00,00,00
	कुल योग	**5,00,00,00**	**कुल योग**	**5,00,00,00**

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:-

1. स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम / निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार महालेखाकार / स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावे।
4. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावे। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजकोष में जमा करवाई जावे।
5. व्यय के लेखे महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

यह स्वीकृति वित्त वित्त (व्यय) विभाग-1 विभाग की आई. डी. संख्या 152402613 दिनांक 20/12/2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

भवदीय,

Signature valid
Digitally signed by NISHA MEENA
Date: 2025.01.07 14:30:03 +05:30

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: - F.22(1)M&H/2/2023 जयपुर, दिनांक - 07/01/2025

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 5416

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

2 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा - प्रथम), राजस्थान, जयपुर |

3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।

4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त व्यय 1 विभाग, शासन सचिवालय

5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग

6 निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

7 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।

8 रक्षित प्रत्रावली |

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

Signature v
Digitally signed
NISHA MEEN
Date: 2025.0
14:36:08 +05:3

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुरप-2) विभाग

IFMS ID : 5416

IFMS ID : 5416

परिशिष्ट

राशि (रुपये में)

क्र. स.	Ref. No.	निजी निक्षेप खाते का नाम / कोष कार्यालय / बजट शीर्ष	राशि
		4008 - Rajasthan State Health Society	
		2100 - जयपुर(सचिवालय)	
1	46912	4210-01-110-(07)-[01]-17 (राज्य निधि)	5,00,00,00

Signature valid
Digitally signed by NISHA MEENA
Date: 2025.01.07 14:30:08 +05:30

राजस्थान सरकार

निदेशालय ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,राज.जयपुर

क्रमांकःएफ–1145(BCMO गुढामलानी)/योजना/निर्माण/2025/ 45 दिनांकः– 21.01.25

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री महोदय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
2. निजि सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
3. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मुख्यालय।
4. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एनएचएम), मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति संख्या 62/2024–25 दिनांक 07.01.2024 के द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुढामलानी जिला बाडमेर के भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य निधि बजट मद 4210–01–110–07–01 के उपमद 17–वृहद् निर्माण कार्य में राशि रुपये 50.00 लाख (अक्षरे पचास लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त कार्यालय के निर्माण की प्रगति सूचना से अवगत करवाना सुनिश्चित करे।
5. उप निदेशक/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) योजना अनुभाग मुख्यालय।
6. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को संबंधित अधिकारियों की मेल–आईडी पर भिजवाने का श्रम करावें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
जयपुर राजस्थान

Signature valid

Digitally signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Director
Date: 2025.01.16 16:57:21 IST
Reason: Approved